18/11/2023

प्रकरण पेश हुआ। वकील आवेदक
तथा वकील प्रतिवादी क्रमांक 1, 2, 8, 9, 10, 11
की ओर से जवाब पेश हुआ। विपक्षी प्रतिवादीगण
की ओर से लिखित बहस। वकील आवेदक की
प्रार्थना पत्र 39 R & C पर बहस सुनी। वकील
आवेदक की बहस। प्रार्थना पत्र आवेदक
के आधार पर प्रार्थना पत्र 39 R & C को
व्यापक हित में स्वीकार किया जाता है। वकील प्रार्थी
वाद में प्रार्थनानुसार अस्थायी निषेधाज्ञा 5, 7, 12, 13, 16, 18
की तामील हेतु नोटिस प्रेषित करें। प्रतिवादी संख्या
04, 06 की वास्ते आवेदन पत्र व वाद पत्र नोटिस
प्रेषित करें। वकील प्रतिवादी संख्या 02 प्रार्थनानुसार रिपोर्ट
(स्पष्टकरण) प्रार्थना पत्र के वास्ते पेश करें। प्रार्थी मूल प्रार्थना
पत्र दाखिल करें। प्रार्थना पत्र 18/10/2023 को
पेश किया गया। तिथि आगामी 18/10/2023 को
नियत की जाती है। नोटिस जारी किया जाए।

Manisha
सहायक कलक्टर (प्रशिक्षु)
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Choudhary
Date: 2023.03.10 12:01:48 IST
Reason: SelfAttested